

1[प्ररूप संख्या 12खखक

(नियम 26व देखिए)

धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत किए जाना वाली घोषणा

- (1) व्यक्ति का नाम और पता :
- (2) पैन या आधार :
- (3) पूर्व वर्ष :
- (4) जन्म की तारीख :
- (5) विनिर्दिष्ट बैंक का नाम :
- (6) नियोक्ता का नाम जिसने पेंशन आर्हत की जाती है :
- (7) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या :

सत्यापन

मैं, का पुत्र/पुत्री प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण और सत्य है यह है कि मैं पेंशन की आय के अतिरिक्त मेरी कोई आय नहीं है और/या ब्याज जो ऊपर कथित विनिर्दिष्ट बैंक के खाते या खातों में ही प्राप्त किया गया है या प्राप्त किए जाने योग्य है तारीख

स्थान

.....
(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....]

1. आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 2.9.2021 से अंतस्थापित।